न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2012/पन्ना

R- 2375-II/12

उमा प्रसाद गर्ग पुत्र श्री मोतीलाल गर्ग,

निवासी–पहाड़ी खेरा, तहसील व जिला पन्ना म.प्र.

श्री विनोद द्विवेदी अभि. द्वारा आज दि. 27-7-12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.................आवेदक

बनाम

राजमणी पुत्र श्री सहदेव गर्ग, निवासी–पहाड़ी खेरा,

तहसील व जिला पन्ना म.प्र ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक निगरानी 995/2011–12 आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत ।

निगरानी के आधार :–

1. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार वाहय होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधिनस्थ न्यायालय ने रिकोर्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया वह स्थिगित किये जाने योग्य नहीं है।

3. यहकि, विवादित आराजी ग्राम पहाड़ी खेरा की भूमि सर्वे नम्बर 296 रकवा 0. 100 आर.ए. का व्यवस्थापन नायब तहसीलदार ने अनावेदक के पक्षमें दखल रहित भूमि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के तहत आदेश दिनांक 12.06.1987 द्वारा गलत अवैधानिकतौर पर कर दिया इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने

उमा प्रसाद गर्ग

July-689

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2375-दो/2012 **जिला** पन्ना उमाप्रसाद विरूद्ध राजमणि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 06-09-2018 को आवेदक के अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन के तर्क सुने जा चुके है । 2. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP No. 3488/2005 राजमनी विरूद्ध उमाप्रसाद में पारित निर्णय दिनांक 21-06-2012 के द्वारा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 08-08-2001 एवं राजस्व मंडल का आदेश दिनांक 23-12-2002 निरस्त किया गया है । अतः अपर आयुक्त सागर संभाग के प्रकरण क्रमांक निगरानी 995/2011-12 आदेश दिनांक 16-07-2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-06-2012 के अनुक्रम में निगरानी प्रचलन योग्य न होने के कारण अग्राह्य की जाती है । सदस्य 11.9.18	